



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरणक्रमांक

/2015 एम जे सी एप्लो 13931-15

शाहलिकराम पुत्र चन्दन सिंह निवासी ग्राम गौहर
तहसील छुरई, हाल तहसील बीना जिला सागर

--- आवेदक

बनाम

श्यामा बन्धु पुन्ना चमार निवासी -ग्राम
गौहर, हाल निवासी मूडरी तहसील बीना

जिला सागर

-- आवेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35 §3§ म 0प्र0 भू राजस्व संहिता

वा स्ते रिब्यू प्रकरण क्रमांक 2469 -TT /2002 ~~00000000~~ ^{धारजा}

दिनांक 4.4.2013 व उन्वान शाहलिक राम बनाम श्यामा

को अदम पैरवीमनिरस्त किये जा निबाबतको नंबर पर लिये जाने हेतु

माननीय न्यायालय

आवेदक की ओर से रिब्यू प्रकरण को पुनः नम्बर

पर लिये जाने बाबत आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

- 1- यहकि आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत रिब्यू प्रकरणक्रमांक 2469/TT/02 विरुद्ध दिनांक 19.7.2002 द्वारा पारित सदस्य राजस्व मण्डल म प्र. ग्वालियर प्रकरण क्रमांक अपील 1738-TT/02 दिनांक 14.11.2002 को प्रस्तुत की गई थी जो माननीय न्यायालय द्वारा रिब्यू 0 आवेदन दिनांक 4.4.2013 को निरस्त कर दी गई है। जिसे नम्बर पर लिये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत है।

दिनांक 5-12-15 को
को सांगी प्रकरण
क्रमांक अपील
~~572-15~~
50

Filed by
MP Bhadrachari
5/12/15

14/12/15

R

प्रस्तुतकार

गुरुदेव महाराज की सेवा के लिए
 3000 रुपये का एक वार्षिक अनुदान / 5000/-
 का निधि सेवा के लिए / प्रकाश - दिनांक
 2469, 11/02 2015 को
 निम्न निम्न के अनुसार प्रस्तुत किया गया है
 निम्न निम्न निम्न


 14/12/15


 निम्न

[पीछे देखिये]